न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या -314/2025

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील जमवारामगढ, जयपुर के पत्रांक भू.अ./25/8460 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण हेतु राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत्।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू.अभिलेख नियम 1957 के
नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप के परिपत्र क्रमांक प–3 (17)राज–6/21/91 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या 4 (2) प्रावधानानुसार

निर्णय दिनांक : 26.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ (भू.अ.) तहसील जमवारामगढ, जयपुर के पत्रांक भू.अ./25/8460 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत् प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें अंकित किया कि ग्राम सामरेड कलां में आम रास्ता खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 कुल रकबा 3.0727 है0 में से 0.1500 (300 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 316 कुल रकबा 2.7945 है0 भूमि में से 0.0400 (80 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 318 कुल रकबा 0.8346 है0 में से 0.0200 (40 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 320 कुल रकबा 2.5200 है0 में से 0.1320 (264 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि जो मुख्य सामरेड कलां सडक से पेडियासी ढाणी तक आम रास्ता मौके पर चालू है।

चूंकि मौके पर यह चालू रास्ता सामरेड कलां तक आवागमन के रूप में काम आ रहा है तथा भूमि का स्वरूप भी परिवर्तन हो चुका है, मौके पर सड़क बनी हुई है। जिसके फलस्वरूप इस मौके पर चालू रास्तों को रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे की राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शों की स्थिति अद्यतन रह सकें। खातेदारों ने अपनी भूमि में से रास्ता अंकित करवाने के लिए एक नॉन ज्यूडिशियल सौ रूपये के स्टाम्प पर अपनी सहमति प्रस्तुत की है।

हमनें पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार जमवारामगढ एवं जमाबन्दी तथा संलग्न नक्शों का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मौके पर चालू रास्तों को रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है।

अतः राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 संपठित भू.अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप के परिपत्र क्रमांक प–3 (17)राज–6/21/91 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या 4 (2) के तहत ग्राम सामरेड कलां में आम रास्ता खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 कुल रकबा 3.0727 है0 में से 0.1500 (300 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 316 कुल रकबा 2.7945 है0 भूमि में से 0.0400 (80 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 318 कुल रकबा 0.8346 है0 में से 0.0200 (40 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 320 कुल रकबा 2.5200 है0 में से 0.1320 (264 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा) हैक्टेयर भूमि जो मुख्य सामरेड कलां सडक से पेडियासी ढाणी तक आम रास्ता मौके पर चालू है।
निजी खातेदारी भूमि मे से तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ते की भूमि खातेदारों के नाम रहेगी तथा बटा नम्बर डालकर तदानुसार रिकार्ड में अमल कर पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 26.12. 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जिला जयपुर

(ललित मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner